न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मिसल न0 84/प्रा0पत्र/23 तारीख दायरा: 10.08.2023

राज0 सरकार जर्ये थानाधिकारी भवानीमण्डी

बनाम

कैलाश गरवाल पुत्र गवरिया गरवाल
प्रथम सूचना रिपोर्ट स0207/2023 थाना भवानीमण्डी
जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम
प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए वास्ते राजसात करने वाहन संख्या एमपी 43 जी 5257

उपस्थितः– सहायक निदेशक अभियोजन
श्री शिवेन्द्र भार्गव, अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांकः 20.02.2024

यह प्रार्थनापत्र प्रार्थी थानाधिकारी थाना भवानीमंडी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि पुलिस थाना भवानीमंडी द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 व 11 के जुर्म में अप्रार्थी का एक वाहन एमपी 43 जी 5257 जप्त किया गया है। जिसमें 04 नर गोवंश ठूंस–ठूंस कर भरे हुए थे। उक्त गौवंशों को निर्दयतापूर्वक भरकर परिवहन कर लाने ले जाने संबंधी कोई रसीद या दस्तावेज चाहा गया तो कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार वाहन में 04 गोवंश बैल को निर्दयतापूर्वक भरकर कटने हेतु बिना दस्तावेज के लाने ले जाने का कृत्य अपराध राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9व 11 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाकर प्रश्नगत वाहन को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर उक्त एमपी 43 जी 5257 जिसमें 04 गोवंश बैल को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन में 04 गोवंश बैल निर्दयतापूर्वक भरे हुए थे। जिनकों एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का कोई वैधानिक स्वीकृति सम्बधित दस्तावेज आरोपी द्वारा वक्त गिरफतारी नहीं बताया गया। इससे प्रथम दृष्टया गोवंशों की तस्करी किया जाना प्रमाणित होता है।

बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी का एक वाहन एमपी 43 जी 5257 को पुलिस द्वारा दिनांकः 21.05.2023 को जप्त किया गया है। अप्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी अप्रार्थी को दी जावे। अप्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से गोवशं का परिवहन लोडिंग कार्य हेतु किया जा रहा था प्रार्थनापत्र खारिज कर जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था । राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त वाहन का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जप्त वाहन एमपी 43 जी 5257 में 04 गोवशं बैल निर्दयतापूर्वक भरे हुए थे। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9व 11 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थायी प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। अप्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नही किये है। अतः गोवशं को निर्दयापूर्वक अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्टि होती है, अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से वाहन एमपी 43 जी 5257 में 04 नर गोवंश को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9व 11 की पुष्टी करता है।

प्रार्थना पत्र आर.बी.ए. एक्ट की धारा 6 (क) पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी थानाधिकारी थाना भवानीमंडी स्वीकार किया किया जाता है। पुलिस थाना भवानीमंडी द्वारा प्र.सू.रि.स. 207/23 में जप्त वाहन एमपी 43 जी 5257 गोवंशीय पशुओं के अवेद्य परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत जप्त वाहन को राजसात (**Confiscate**) किया जाना उचित पाते है। अधिनियम की धारा 6(क) में दिये गए प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए उक्त कृत्य के लिए वाहन एमपी 43 जी 5257 पर जुर्माना (**fine**) वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि लगाया जाना उचित पाते हैं।

—:अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6(क) पुलिस थाना भवानीमंडी द्वारा प्र.सू.रि.स. 207/2023 में जप्त वाहन एमपी 43 जी 5257 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं। जप्त वाहन के मालिक को विकल्प दिया जाता है कि वे अन्दर 30 योम वाहन एमपी 43 जी 5257 पर जुर्माना (**fine**) वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित राशि के बराबर राशि राजकोष में जमा करा दे तथा वाहन का मालिक होने के असल दस्तावेज पेश करे व उक्त वाहन अन्य किसी न्यायिक प्रकरण में वांछित ना हो तो वाहन को सम्बंधित मालिक की सुपुर्दगी में दिया जावे। बाद गुजरने म्याद जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (**Confiscate**) हो जायेगा। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना भवानीमंडी जिला झालावाड़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांकः 20/02/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमांकः 276 /रीड़र/24 दिनांकः 28/06/24

वास्तेः—

थानाधिकारी
थाना भवानी मण्डी

उनवान मिसल न0 84/23

सरकार मार्फत ब कैलाश गरवाल

थानाधिकारी भवानी ना

मण्डी झालावाड़ म

अपील/प्रा0पात्र/निगरानी बनाराजी आदेश FIR 207/23 दिनांक वाहन राजसात करने MP 43 G 5257

उपरोक्त विषयक प्रकरण का निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20/02/24 को हो जाने से इस न्यायालय की निर्णय की प्रति सूचनार्थ एवंम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

कृपया की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

आज्ञानुसार

(हस्ताक्षर)

रीडर

न्यायालय जिला कलक्टर

झालावाड़

संलग्नः— 1. निर्णय की प्रति किता (02)